

राजस्थान सरकार
राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद



क्रमांक 4(19) आरडी/नरेगा/पार्ट-3/2009-10

जयपुर, दिनांक:- 14/12/09


—::कार्यालय आदेश::—

राजस्थान रोजगार गारंटी परिषद द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत संविदा आधार पर अनुबंध पर नियोजित कार्यक्रम अधिकारियों की अनुबंध अवधि नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 15.12.2009 को समाप्त हो रही अवधि के कार्यक्रम अधिकारियों की सूची सलंगन कर निर्देशित किया जाता है कि इन कार्यक्रम अधिकारियों का कार्यभार संबंधित पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारी को सभलवाया जावे।

उपयुक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

सलंगन:- उपरोक्तानुसार



(तन्मय कुमार)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


- 1 निजि सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजि सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 4 समस्त संम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 5 जिला कलैक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ~~समस्त~~ संबंधित जिला।
- 6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त ^{संबंधित} जिला परिषद।
- 7 संबंधित विकास अधिकारी, राजस्थान।
- 8 संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान।
- 9 रक्षित पत्रावली।

संबंधित को भेजकर नितेदन है
कि उक्त में से किसी ने माननीय
उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त
किया है तो तदनुसार पालना की जावे।


परियोजना निदेशक, ईजीएस,

कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा)

क्र.स.	जिला	पंचायत समिति	कार्यक्रम अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1	भरतपुर	वैर	अर्चना
2	भीलवाडा	शाहपुरा	श्री महेश शर्मा
3	चित्तौडगढ	बेगू	श्री हनुमान सिंह पटेल
4	डूंगरपुर	बिछीवाडा	श्री अमित यादव
5	जोधपुर	भोपालगढ	सरिता विश्‍नोई
6	जोधपुर	शेरगढ	हरीश दहिया
7	नागौर	डीडवाना	सुमीत कुमार
8	पाली	मारवाड	ओम प्रकाश राठौड
9	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	फैज अहमद


परियोजना निदेशक, ईजीएस